राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

निगरानी संख्या – 1465/2015 जिला– अजमेर

उनवान– जय सिंह कर्नावट पुत्र श्री उमराव सिंह, किशनगढ व अन्य बनाम राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक किशनगढ व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.02.2016	**खण्डपीठ** **श्री मनोहर पुरी–सदस्य** **श्री ईश्वरी लाल वर्मा–सदस्य** प्रार्थी निगरानींकर्ता के विद्वान अभिभाषक श्री सुमीत जैन एवं अप्रार्थीगण विभाग की ओर से श्री आर.के.अजमेरा उप राजकीय अभिभाषक उपस्थित। निगरानीकर्ता के अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि निगरानीकर्ता द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते निगरानी नोटप्रेस में खारिज किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 29.01.2016 को प्रस्तुत किया जो पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसमें निवेदन किया कि उपरोक्त प्रकरण अधीन जो भी राशि प्रतिदेय होती थी इसमें दिनांक 12.01.2016 के राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुक्रम में वांछित राशि रू0 3,45,770/–निपेक्षित करवा दिये है अब उक्त प्रकरण में कोई राशि अदा किया जाना शेष नहीं है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उपरोक्त निगरानी नोटप्रेस में खारिज किये जाने की कृपा करे। इस पर विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा निगरानीं को नोटप्रेस खारिज करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की गयी। फलस्वरूप प्रार्थी निगरानीकर्ता द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र के आधार पर हस्तगत निगरानी निगरानीकर्ता द्वारा नहीं चलाने से खारिज की जाती है। आदेश सुनाया गया। 9.2.2016 09.02.2016 (ईश्वरी लाल वर्मा) (मनोहर पुरी) सदस्य सदस्य	